

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

(चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से अनुमति प्राप्त)

Website:- www.mahsimgm.in फोन : 0731-2528516, फैक्स: 0731-2514328, E-mail:- mahsimgm@gmail.com

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम



निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र 2025-26

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

के.ई.एच.कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पिटल के पास,

एम.वाय. हॉस्पिटल परिसर, इन्दौर, (म.प्र.) : 452001

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर (म.प्र.)
सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण तिथियाँ / सूचना

क्र.	सूचना	तिथियाँ
1.	नियम-निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.mahsingm.in अथवा ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में उपलब्ध होने की अवधि	14-05-2026 से 25-05.2026 तक
2.	संस्था की वेबसाइट www.mahsingm.in पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	25-05.2026
3.	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट www.mahsingm.in पर एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर)	28-05.2026
4.	प्रकाशित योग्यता (प्रावीण्य / मेरिट लिस्ट) सूची से संबंधित प्रश्न, यदि कोई हो तो, संस्था कार्यालय अथवा ईमेल आई.डी. www.mahsingm@gmail.com पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	29-05.2026
5.	प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया की प्रस्तावित तिथियाँ (स्नातक / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स हेतु)	01-06-2026 से 04-06-2026
6.	प्रवेशित पाठ्यक्रमों में संबंधित विभागों / चिकित्सालयों में नियमित कक्षाएँ प्रारंभ होने की तिथि	08-06-2026

नोट: उक्त प्रवेश प्रक्रिया म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल द्वारा सत्र 2025-26 हेतु जारी स्वीकृति / अनुमति के अधीन होगी। (Order No. /F-740(12)A/College/A25G0072/728/2026 dated 06-05-2026 Of MP Paramedial Council, Dept. of Public Health and Medical Education, M.P. state Govt. Bhopal (M.P.)

आवेदन शुल्क :-

आवेदक को आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क राशि **₹. 800/-** (सामान्य वर्ग) एवं **₹. 500/-** आरक्षित वर्ग (ST, SC, OBC) हेतु, आनलाइन माध्यम से संस्था की वेबसाइट www.mahsingm.in पर एवं ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक शुल्क के बिना प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- वेबसाइट www.mahsingm.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय समस्त वांछित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है, इसी प्रकार संस्था में ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय वांछित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। काउंसलिंग के समय मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।
- उक्त तिथियों / प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना संस्था के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट www.mahsingm.in पर प्रसारित की जावेगी।
- नियमों / विनियमों / सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट www.mahsingm.in एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।
- काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई अलग से कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, आवेदक को अपनी योग्यता सूची संख्या के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा अन्यथा आवेदक का प्रवेश संबंधी अधिकार / दावा स्वमेव समाप्त हो जावेगा।
- प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये काउंसलिंग शुल्क राशि **₹. 600/-** पृथक से जमा करवाने होंगे। भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।
- प्रवेश प्रक्रिया और संबद्ध एलाइड हेल्थ / पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.mahsingm.in नियमित रूप से देखें।



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (शासकीय स्वशासी संस्था)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
कार्यालय दूरभाष नंबर :- 071-2528516 ईमेल :- dean.ind@mp.gov.in
वेबसाइट :- www.mgmmcindore.in



संदेश

अश्वमेध सहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।
अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥



महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का एक अत्यंत पुरानी गौरवमयी परंपरा को निभानेवाला संस्थान है जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लगभग 157 वर्ष पूर्व किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की स्थापना इंदौर में हुई थी तथा सेंट्रल इंडिया की प्रथम एलोपैथी डिसपेंसरी उक्त स्कूल के अधीनस्थ ही स्थापित की गई थी। दिनांक 6 जून 1948 को आधुनिक महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की नींव का शिलान्यास स्व. सुश्री राजकुमारी अमृत कौर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया था। दिनांक 8 मार्च 1955 को इस नवीन भवन का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया था। तत्समय इस चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता पद पर स्व. डॉ. बी. सी. बोस सुशोभित थे। दिनांक 23 अक्टोबर 1956 को महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय का लोकार्पण तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री स्व. श्री गोविंदवल्लभ पंत के कर कमलों से हुआ था उस समय अधीक्षक के पद पर स्व. डॉ. आर.आर. श्रृषि पदस्थ थे।

इस गौरवमयी संस्था के 157 वर्षीय इतिहास में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, ग्यारह पंच ट्रस्ट कैंसर चिकित्सालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, मानसिक चिकित्सालय एवं मनोरमा राजे टी. बी. चिकित्सालय आदि महत्वपूर्ण संस्थाएँ सम्मिलित रहीं हैं। इस श्रृंखला में 1997 से चरणबद्ध तरीके से सह चिकित्सकीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र का प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं सह चिकित्सा का विस्तार करते हुये वर्ष 2018 में ष्टेट अलाईड हेल्थ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का गठन करते हुये विभिन्न 12 सह चिकित्सकीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये। वर्तमान में कुल 17 सह चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित हैं।

इन पाठ्यक्रमों के महत्व के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन एवं संचालन बिना सह-चिकित्सकीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ) के एक दिवा स्वप्न सा है। इसलिये आज के चिकित्सा क्षेत्र में इन पाठ्यक्रमों का अत्यंत सत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मेरा यह भी मानना है कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत समस्याओं के समाधान में इस प्रकार के पाठ्यक्रम अत्यंत सहायक होंगे।

रहिमन इस संसार में, सबसों मिलिये धाय।

ना जाने केहि रूप में, नारायण मिल जाय ॥

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को बहुत बहुत शुभकामनायें।

(डॉ. अरविंद प्रेमघोरिया)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गां. स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर (म.प्र.)




MGM ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI) MGM MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS SOCIETY, INDORE (M.P.)

(Permitted by Dept. of Public Health and Medical Education, Govt. of M.P.)

WEBSITE- www.mahsimgm.in Email: mahsimgm@gamil.com Ph. No. 0731-2528516

Message

MAHSI is shortly starting admission process for the academic session 2025-26 and we extend a heartfelt welcome to the students who are aspiring to take admission in various Allied Health courses in MAHSI. The health care delivery system is advancing at a rapid pace in India and Worldwide and to keep abreast with the evolving need, it is our endeavour at MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI) to inculcate the best clinical and human values in the students, enabling them to stand apart in today's health care world.



The institute is presently running 17 UG, PG Degree, Diploma and Certificate Courses imparting allied healthcare education to around 1350 students. The institute is having 320 bedded Girls Hostel with requisite amenities in serene environment.

To serve community better MAHSI is running Buti Advance Sports Injury Rehabilitation Center and Neurological Rehabilitation unit to enhance the Rehabilitation Services.

The institute is continuously striving for the holistic development of students providing an all-round development of student's personality through exposure in the academic, cultural, aesthetic areas. Various activities are conducted including yoga, cultural events, history club, readers club, MAHSI beyond Medicine and academic symposium to groom the students to serve the community and nation.

Wishing you a Bright Future

Dr. D. K. Taneja

MBBS, D.Orth, MS (Orth.), FAMS, FRCS (Eng), FIOA (Eng), FAPO
Founder Director, MAHSI Indore
Former Dean, MGM Medical College, Indore (M.P.)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर रोड, भोपाल (म.प्र.)

Message

The Madhya Pradesh Paramedical Council is very pleased that MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College, Indore has been running 17 different postgraduate, undergraduate, diploma and certificate courses with approximately 1300 student strength are commencing admissions for new academic session 2025-26.



MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), along with very efficient academic and clinical staff enrich their students with tremendous professional skills and motivate them to work with patience, zeal and dedication for patient care hence benefitting the community at large. I am sure that students of the institute will be very efficient allied health care professionals in future and hence an asset to the society

The MP Paramedical Council always supports institute vision for further progress and extends best wishes for faculty, staff and students for great success ahead.



(Dr. Sheloj Joshi)

MBBS,MD,DHM (NIHFW)

Registrar


MP Paramedical Council, Bhopal (MP)



MGM ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI)
MGM MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS SOCIETY, INDORE (M.P.)
(Permitted by Dept. of Public Health and Medical Education, Govt. of M.P.)
WEBSITE- www.mahsimgm.in Email: mahsimgm@gmail.com Ph. No. 0731-2528516

Message

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI) has been a leading Allied Healthcare Education Provider Institute for last 29 years. The institute has been conducting 17 different courses including PG, UG, Diploma & Certificate courses. The institute is committed for providing good academic & clinical training to the student and has emerged as one of the best institutes of Central India in the field of Allied Health sciences.



The student's achievements keep adding feathers to the institutes cap. It makes me a proud member of the fraternity. The students of different courses are posted for clinical duties in the Maharaja Yashwantrao Hospital (MYH) & other associated hospitals of Medical College. The students are being provided with the required infrastructure for best training facilities.

I wish all the students a very bright professional career ahead and hope that they keep the glory of institute alive.

Dr. Manish Purohit
HOD, Microbiology,
Chief Coordinator, Paramedical Courses, MAHSI
MGM Medical College , Indore (M.P.)



MGM ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI) **MGM MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS SOCIETY, INDORE (M.P.)**

(Permitted by Dept. of Public Health and Medical Education, Govt. of M.P.)

WEBSITE- www.mahsimgm.in Email: mahsimgm@gamil.com Ph. No. 0731-2528516

Message

The School of Physiotherapy was established in the year 1997 which emerged under a bigger name of MGM Allied Health Sciences Institute in 2018 which is presently running 17 different Allied Health Courses including PG UG Diploma and certificate courses. MAHSI is committed to providing a conducive environment for learning which provides moral physical and mental development of the student.

The institute is having ultramodern facilities such as smart classrooms, interactive panels, various labs along with different forums such as readers club, history club and road traffic gallery to nurture the students into a committed individual of the nation.

In addition to academic classes practical training exposure is being provided to the students through clinical postings in Maharaja Yashwantrao Hospital, Maharaja Tukorao Hospital, Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, MGM Superspeciality Hospital, School of Excellence for Eye, Govt. Cancer Hospital, Manorama Raje TB Hospital, Mansik Chikitsalaya, Indore.

The institute has signed an MOU with Manchester Metropolitan University to facilitate research programs and faculty as well as student exchange programs in order to provide safe dwelling facilities to the girl students 312 bedded hostel facility is available in close vicinity of the college.

I welcome all the students to be a part of Allied health care system and be a part of the community service and service to mankind.

With best wishes for a bright future ahead.



(Dr. Ramhari Meena, PT)

Principal

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI)
MGM Medical College, Indore (M.P.)

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

संरक्षक

श्री अधोक बरनवाल (IAS)

अतिरिक्त प्रमुख सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री धनराजू एस. (IAS)

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल

अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद्

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

डॉ. अरुणा कुमार (MS)

संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल

डॉ. डी.के. तनेजा,

D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA Phd (Hon)

पूर्व अधिष्ठाता महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

संस्थापक निदेशक एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट

इन्दौर

डॉ. अरविंद घनघोरिया

(MS)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्डौर 452001 (म.प्र.)

उच्च स्तरीय समन्वय समिति

मुख्य समन्वयक, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	: डॉ. मनीष पुरोहित, विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायलॉजी विभाग
पाठ्यक्रम सलाहकार	: डॉ. अरविन्द शुक्ला, प्रोफेसर - सर्जरी विभाग : डॉ. शिखा घनघोरिया, प्रोफेसर - पैथोलॉजी विभाग : डॉ. रामहरी मीणा, प्राचार्य, MAHSI : डॉ. मनीष गोयल - फिजियोथेरेपिस्ट, म.प्र. चिकित्सालय

: संबद्ध चिकित्सालय एवं अधीक्षक :

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय	: डॉ. अशोक यादव
शासकीय कैंसर हॉस्पिटल	: डॉ. रमेश आर्य
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	: डॉ. अरविन्द शुक्ला
मानसिक चिकित्सालय	: डॉ. वी.एस.पाल
मनोरमा राजे क्षय रोग चिकित्सालय	: डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव
एम.टी.एच. चिकित्सालय	: डॉ. अनुपमा द्वे
एम.जी.एम. सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल	: डॉ. डी.के. शर्मा
स्कूल ऑफ एक्सिलेंस फार आई	: डॉ. डी.के. शर्मा

संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

एनाटॉमी विभाग	: डॉ. अमीत जुल्का
फिजियोलॉजी विभाग	: डॉ. अजय भट्ट
बायोकेमेस्ट्री विभाग	: डॉ. पुर्णिमा डे सरकार
पैथोलॉजी विभाग	: डॉ. अशोक पंचोनिया
माईक्रोबायलॉजी विभाग	: डॉ. मनीष पुरोहित
फार्माकोलॉजी विभाग	: डॉ. पुजा सोलंकी
नेत्ररोग विभाग	: डॉ. प्रीति रावत
सर्जरी विभाग	: डॉ. अरविन्द शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	: डॉ. निलेश दलाल
मेडिसिन विभाग	: डॉ. ए.डी. भटनागर
रेडियोडाइग्नोसिस विभाग	: डॉ. अल्का अग्रवाल
अस्थिरोग विभाग	: डॉ. कुंदन कुशवाह
नाक कान गला विभाग	: डॉ. यामिनी गुप्ता
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	: डॉ. सलील साकल्ले
एनेस्थेसिया विभाग	: डॉ. शालिनी जैन
फॉरेन्सिक मेडिसिन विभाग	: डॉ. बी.के. सिंह

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

प्रात्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

मुख्य समन्वयक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम : डॉ. मनीष पुरोहित, विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायलॉजी विभाग

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
स्नातक पाठ्यक्रम				
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	फिजियोथेरेपी	डॉ.विजय कौशिक (शिक्षण समन्वयक)	
2.	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	आक्यूपेशनल थेरेपी	डॉ.सविता चौहान	
3.	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन (बी.एक्स.आर.टी.)	रेडियोलॉजी	डॉ.अलका अग्रवाल	डॉ.सौरभ अतराम
4.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी (बी.एम.एल.टी.)	बायोकेमेस्ट्री	डॉ. अशोक यादव	डॉ. रामु ठाकुर
डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
5.	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नियन	मेडिसीन	डॉ. ए.डी. भटनागर	डॉ. शिवशंकर शर्मा
6.	डिप्लोमा इन आर्थोल्मिक असिस्टेन्ट टेक्नियन	नेत्र रोग	डॉ. प्रीति रावत	डॉ. नीतू कोरी
7.	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नियन	रेडियोथेरेपी	डॉ. रमेश आर्य	डॉ. ओ.पी. गुर्जर
8.	डिप्लोमा इन कैंथ लेब टेक्नियन	कॉर्डियोलॉजी	डॉ. ए.डी. भटनागर	डॉ. लोकेन्द्र रेकवाल
9.	डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री रिफेक्शन	स्कूल ऑफ एक्सिलेंस फार आई	डॉ. आभा वर्मा	डॉ. बलदेव सस्त्या
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम				
10.	सर्टीफिकेट इन ओ.टी. टेक्नियन	सर्जरी	डॉ. अरविन्द शुक्ला	डॉ. अभय ब्रह्माने

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

About the Course...

DEGREE COURSES

Bachelor of Physiotherapy (BPT):-

Available Seats = 100

Physiotherapists assess, plan and implement rehabilitative programs that improve or restore human motor functions, maximize movement ability, relieve pain syndromes, and treat or prevent physical challenges associated with injuries, diseases and other impairments. They apply a broad range of physical therapies and techniques and implement programmes for screening, prevention and treatment of many physical ailments and disorders.

SCOPE:- Physiotherapy is an essential part of the health and community/welfare services delivery system. Physiotherapists practice independently of other health care/service providers and also within multidisciplinary rehabilitation/habilitation programmes to prevent, gain, maintain or restore optimal function and quality of life in individuals with loss and disorders of movement.

Physiotherapists are guided by code of ethical principles. Thus, they may be concerned with any of the following purposes:

1. Promoting the health and well-being of individuals and the general public/society, emphasizing the importance of physical activity and exercise.
2. Preventing impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities in individuals at risk of altered movement behaviours due to health or medically related factors, socio-economic stressors, environmental factors and lifestyle factors.
3. Providing interventions/treatment to restore integrity of body systems essential to movement, maximize function and recuperation, minimize incapacity, and enhance the quality of life, independent living and workability in individuals and groups of individuals with altered movement behaviors resulting from impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities
4. Modifying environmental, home and work access and barriers to ensure full participation in one's normal and expected societal roles

Physiotherapists may also contribute to the development of local, national and international health policies and public health strategies.

Settings in which physiotherapy is practiced

Physiotherapy is delivered in a variety of settings which allow it to achieve its purpose. Prevention, health promotion, treatment/intervention, habilitation and rehabilitation take place in multiple settings that may include, but are not confined to, the following:

1. Community based rehabilitation programmes
2. Community settings including primary health care centres, individual homes, and field settings
3. Education and research centres
4. Fitness clubs, health clubs, gymnasia and spas
5. Hospices
6. Hospitals
7. Nursing homes
8. Occupational health centres
9. Out-patient clinics
10. Physiotherapist private practices, clinics
11. Prisons
12. Public settings for health promotion
13. Rehabilitation centres and residential homes
14. Schools, including pre-schools and special schools
15. Senior citizen centres
16. Sports centres/clubs
17. Workplaces/companies

(Source : Model Curriculum Handbook PHYSIOTHERAPY Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)

Bachelor of Occupational Therapy (BOTH):-

Available Seats = 40

Occupational Therapy is a health related profession that deals with therapeutic management of various neuromuscular, musculoskeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotor impairments, mental retardation or mental illnesses.

SCOPE-

- Hospital set up , Rehabilitation centre, School for disabled children
- De-addiction Centres
- Psychiatric clinics
- Centre for mentally retarded
- Child development centres
- Industrial Medical Facilities
- Private Practice
- Geriatric Homes/ Old age Homes
- Social services and council departments.

Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT):-

Available Seats = 50

Bachelor in Medical Laboratory Technology course is a 3 years undergraduate course that involves study related to detection, treatment and diagnosis of diseases with the help of clinical laboratory test. The graduates of BMLT Course can opt for the jobs including medical technicians lab technologists, etc. and are in huge demand in today's medical sector. A candidate can choose to work as research scholar / scientist or in research and development laboratories. The medical technology field include areas such as blood banks , clinical chemistry, heamatology , immunology, microbiology, urine analysis and blood sampling, etc.

Scope-

Hospitals, Nusing Homes, Corporate Hospitals, Medical Colleges

Bachelor in Radiographer Technician(BXRT):-

Available Seats = 25

Radiography is the science of taking images of the internal parts of the human body for the purpose of diagnosing diseases and ailments. This includes the use of X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound etc. X-ray Technicians provides images of various body organs, to understand patient's health status and provide treatment as needed. They are also taught how to use radio waves to treat various tumors and other cancerous ailments.

SCOPE-

- Government and Private Hospitals
- Diagnostic centres, as well as Super specialty and Multi specialty Hospital
- Cancer units in medical colleges and cancer hospitals.

DIPLOMA COURSES

1. Diploma in Ophthalmic Assistant (DOA):-

Available Seats = 20

Ophthalmic Assistant works with an ophthalmologist. They help ophthalmologist care for patients by taking history, performing various technical procedures, tests and preparing patients for various medical and surgical procedures. They provide the ophthalmologist with important information to help diagnose and treat patients.

SCOPE-

- Eye Clinical setup, Eye hospital, Medical college, Optical companies

2. Diploma in Dialysis Technician (DDT):-

Available Seats = 30

An allied healthcare professional who operates and maintains dialysis machine for patients with kidney diseases. Kidney dialysis makes the difference between life and death for those who suffer from renal failure. These technicians maintain and operate the equipment used for dialysis, a process that cleanses the blood of metabolic waste products.

SCOPE-

- Hospitals, Renal clinics, Medical colleges.

3. Diploma in Radiotherapy Technician (DRT):-

Available Seats = 05

Radiotherapy also called as radiation therapy, is the treatment of cancer & other diseases with ionizing radiation. The radiotherapy technician works under oncologist and oncosurgeons and they are responsible for providing a dose of radiotherapy as prescribed.

SCOPE -

- Hospitals with cancer units
- Medical colleges
- Research institutes.

4. Diploma in Cath Lab Technician (DCLT) :-

Available Seats = 25

Diploma in Cath Lab Technician is a two years paramedical diploma course. Technicians are trained to assess interventional cardiologist in performing diagnostic and therapeutic invasive cardiac procedure with the help of cardiac and coronary imaging. The students will be trained to assist Doctor during procedure such as coronary imaging including angiography, IVUS, FFR, percutaneous coronary intervention, rotational atherectomy, peripheral angiography and interventions for structural heart diseases. Students will be able to interpret basic ECG and recognized cardiac arrhythmias.

SCOPE -

Hospitals, Diagnostic Centre, Nursing Home, Cardiac clinic, Medical colleges
Medical Equipment manufacturing company

5. Diploma in Optometric Refraction (DOR):-

Available Seats = 20

This course aims to teach students about main aspects of eye health, disorders, diagnosis, therapy, psychology, patient management and optometric retail management. The study of refraction optometrics teaches the techniques of diagnosing the eye's local condition and correcting it with optical equipment like spectacles or contact lenses. Students learn about eye refraction and how to calculate the power of eyeglasses or contact lenses, they also learn about visual acuity, retinoscopy, glaucoma etc.

SCOPE -

Eye hospitals
Manufacturing unit for spectacles and contact lenses
Retail and bulk outlet for spectacles or contact lenses

CERTIFICATE COURSES

Certificate in Operation Theater Technician (COT):-

Available Seats = 50

An O.T. technician helps in pre-operative care of operation theatre like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving, OT technician are also responsible to make the necessary arrangement during the operation also.

SCOPE :- Hospitals, Nursing homes, Corporate, Medical colleges etc.

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इंदौर 452001 (म.प्र.)

नियम एवं निर्देश

1. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम			
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	4 1/2 वर्षीय	100
2.	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	4 1/2 वर्षीय	40
3.	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नशियन (बी.एक्स.आर.टी.)	3 वर्षीय	25
4.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी (बी.एम.एल. टी.)	3 वर्षीय	50
डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
1.	डिप्लोमा इन आण्डोलॉजिकल असिस्टेंट (डी.ओ.ए.)	2 वर्षीय	20
2.	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नशियन (डी.डी.टी.)	2 वर्षीय	30
3.	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नशियन (डी.आर.टी.)	2 वर्षीय	05
4.	डिप्लोमा इन कैंथ लेब टेक्नशियन (डी.सी.एल.टी.)	2 वर्षीय	25
5.	डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रीक रिफ्रेक्शन (डी.ओ.आर.)	2 वर्षीय	20
सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम			
1	सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नशियन (सी. ओ.टी.)	1 वर्षीय	50
		कुल सीट	365

महत्वपूर्ण सूचना - उक्त पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों के नियमानुसार बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.) एवं बैचलर इन आक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत 6 माह की क्लीनिकल इंटरनशिप महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी संस्था)- इंदौर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, तदुपरांत ही पाठ्यक्रम पूर्ण होने सम्बन्धी दस्तावेज जारी किये जा सकेंगे एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री जारी की जावेगी।

B- प्रवेश हेतु पात्रता

- पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त/समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ वर्ष 2025 या उससे पूर्व उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आयु सीमा:**-पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। BXRT तकनीशियन डिग्री और रेडियोथेरेपी तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश के दिन 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- प्रावीण्य सूचि (मेरिट लिस्ट) :-** प्राप्त आवेदनों की न्यूनतम योग्यता परीक्षा हायर सेकेंडरी 10+2 में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान में अर्जित अंको की मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी, जिसके आधार पर प्रवेश प्रदान किये जा सकेंगे, किन्तु मेरिट सूचि में अंको की समानता की दशा में मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः इंदौर जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न आवेदकों को मेरिट सूचि के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु मध्यप्रदेश राज्य के आरक्षण सम्बन्धी लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार देय होगा।

4. **न्यूनतम अर्हकारी अंक** – पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिये न्यूनतम 40% अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिये 33% अंक निर्धारित है।
5. **मेडिकल फिटनेस**– प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदक को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर (चिकित्सा अधिकारी) द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण एवं हेपेटाइटिस –बी का वाक्सिनेसन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. **गैप सर्टिफिकेट**– यदि आवेदक ने कक्षा 12 वीं वर्ष 2025 से पहले उत्तीर्ण की है, तो नोटोंराईज्ड गैप सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक के समस्त दस्तावेजों, अंकसूची, प्रमाणपत्र आदि पर आवेदक का नाम एवं उपनाम समान होना चाहिए, किसी प्रकार की भिन्नता की अवस्था में सम्बन्धित उचित आवश्यक दस्तावेज / साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. **In-service Applicant:** नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों (विभागीय कोटा) के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :-
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश राज्य में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों को संस्था में संचालित उनके विभाग से संबंधित पाठ्यक्रम में राज्य शासन के अनुमोदानानुसार कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीट आरक्षित है
 - उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक/संचालक/प्रमुख /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय) से निर्धारित प्रपत्र में अनुमति/स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठ्यक्रम आवेदक कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय स्वास्थ्य सेवा के संबंधित विभाग में किस तरह उपयोगी है। संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र पृ. क्रमांक 748-51 स्था/अराज/2007 दिनांक 05-11-2007 के अनुसार यदि संबंधित विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे।
 - शासकीय कर्मचारियों को नियमित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश राज्य शासकीय सेवा में होना अनिवार्य है तथा नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 8 वर्ष, डिप्लामो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
 - पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12 वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्राप्तांकों के अनुसार प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किया जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेंगा। (अधिकतम 20 अंक)
 - बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
 - सम्बन्धित आवेदक सेवारत कर्मचारी का आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन होने पर सम्बन्धित सेवारत आवेदक को संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण नियमों का पालन करना होगा, सम्बन्धित स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी सेवारत आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करेंगे एवं उनके दायित्वों की पूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं के विभागीय स्तर पर करेंगे, संस्था की सम्बन्धित सेवारत आवेदक के दायित्वों के लिए किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।
 - सक्षम अधिकारी प्रवेश विवरणिका के अवलोकन उपरांत ही सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों के आवेदन अग्रेषित करें, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजेने में प्राथमिकता दी जावे।
 - अनापत्ति प्रमाणपत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिंदु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान कर रहे है।
 - सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्य आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लिविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।

पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

सीटों का आरक्षण – म.प्र. शासन के नियमानुसार संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों में आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों हेतु निम्नानुसार सीटें आरक्षित हैं:–

अनुसूचित जनजाति (ST)	20%
अनुसूचित जाति (SC)	16%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%

Subjected to Rules/Orders of M.P. Govt./M.P. Paramedical Council, Bhopal

O = Open
F = Female = 35%
P = PWD (दिव्यांग) = 6%
MP = Military Personnel - 3%
FF- Freedom Fighter - 3%,
IS – In Service Candidate (विभागीय कर्मचारी हेतु) - 10%

S N	Course	Duration (yrs)	Unreserved						Schedule Caste						Schedule Tribes						OBC						EWS						Total
			O	F	P	MP	F F	IS	O	F	P	MP	FF	IS	O	F	P	M P	FF	IS	O	F	P	M P	FF	I S	O	F	P	M P	FF	IS	
1	BPT	4½.	11	9	2	1	1	3	7	6	1	0	0	2	8	7	1	1	1	2	11	9	2	1	1	3	5	4	0	0	0	1	100
2	BOT	4½.	5	4	1	0	0	1	3	2	0	0	0	1	4	3	0	0	0	1	5	4	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	40
3	BXRT	3	3	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	4	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	25
4	BMLT	3	7	4	1	0	0	1	4	3	0	0	0	1	4	4	1	0	0	1	7	5	1	0	0	1	2	2	0	0	0	1	50
5	DDT	2	4	3	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	4	3	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	30
6	DOA	2	3	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	20
7	DRT	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
8	DCLT	2	3	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	4	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	25
9	DOR	2	3	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	20
10	COT	1	7	4	1	0	0	1	4	3	0	0	0	1	4	4	1	0	0	1	7	5	1	0	0	1	2	2	0	0	0	1	50
Total available seats																											365						

नोट : संस्था द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रमों एवं सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

PwD– Persons With Disability / दिव्यांग –

- ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिए उनके सम्बन्धित संवर्ग में 6% सीट नियमानुसार आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।
- **दिव्यांगता प्रमाण पत्र** – पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 'दिव्यांग व्यक्ति' (PwD) आरक्षण का लाभ के लिए किसी सक्षम सरकारी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी 'दिव्यांगता प्रमाण पत्र' या 'यूनिक डिसेबिलिटी ID' (UDID) कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक की 'मानक दिव्यांगता' (Benchmark Disability) की पुष्टि करता हो।
- **योग्यता प्रमाण पत्र** – पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिव्यांग आवेदक को शासन द्वारा निर्धारित केंद्र / मेडिकल बोर्ड से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की आवेदक चयनित फिजियोथेरेपी / अलाइड हेल्थ / पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु सक्षम है, तदोपरांत ही आवेदक को उसके चयनित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा।
- दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु आवेदक को शासन द्वारा अनुशंसित लोकोमोटर (गति संबंधी), श्रवण, दृष्टि, संज्ञानात्मक/SLD और अन्य प्रकार की दिव्यांगता के अंतर्गत आना चाहिए। इसके लिए, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें यह प्रमाणित हो कि आवेदक संवाद करने, सुनने, लिखने और उपकरणों को पकड़ने में सक्षम (हाथ की दिव्यांगता की स्थिति में) है साथ ही, वह चिकित्सा शब्दावली को समझने और सामाजिक मेलजोल बनाए रखने में सक्षम है, और कम दृष्टि वाले उपकरणों की सहायता से कार्य कर सकता है। इस प्रमाण पत्र को शासन द्वारा निर्धारित बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।
- दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु में 50 से 70 % दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होंगे।
- 50 से 70 % दिव्यांगता (PwD -1) प्रतिशत की दिव्यांगता के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर 40 से 50 % दिव्यांगता (PwD -2) के आवेदक पात्र होंगे।

⇒ **पाठ्यक्रमों का नाम**

- BPT- बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)
- BOT- बैचलर ऑफ आक्यूपेशनलथेरेपी (बी.ओ.टी.)
- BXRT- बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन
- BMLT- बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी
- DDT - डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन
- DOA - डिप्लोमा इन आथलमिक असिस्टेंट
- DRT - डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन
- DCLT- डिप्लोमा इन कैथ लेब टेक्निशियन
- DOR- डिप्लोमा इन आप्टोमेट्रीक रिफ्रेक्शन
- COT- सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन

D. चयन प्रक्रिया

1. पाठ्यक्रमों में चयन हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर होगा।
2. मेरिट सूची में अंको की समानता की दशा में म.प्र. के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न आवेदकों को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु मध्यप्रदेश राज्य के आरक्षण सम्बन्धी लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार देय होगा।
3. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेशित आवेदकों को संस्था में शैक्षणिक आहर्ता एवं अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज जमा करने होंगे, उक्त दस्तावेज विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत निर्धारित अदेय प्रमाण पत्र / नो ड्यूज (No Dues) सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर वापिस प्राप्त किये जा सकेंगे, आवेदक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पश्चात, विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूर्ण किये बगैर पाठ्यक्रम छोड़ता है तो प्रवेश विवरणिका में उल्लेखित सीट लीविंग बंध (बांड) की राशि का भुगतान संस्था में जमा करवाकर निर्धारित प्रवेश निरस्तीकरण शपथ पत्र प्रस्तुत कर मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।

E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया :-

1. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक को निर्धारित तिथि एवं समय पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु व्यक्तिगत (स्वयं) मय आवश्यक मूल दस्तावेज एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के साथ प्रवेश समिति के समक्ष संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य है, आवेदक तत्समय पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर अपनी मेरिट सूची क्रमांक के अनुसार प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे, निर्धारित तिथि एवं समय पर आवेदक की अनुपस्थिति में वरीयता क्रमांक के अनुसार आगामी आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा एवं भविष्य में आवेदक के वरीयता क्रमांक का किसी भी प्रकार का दवा / क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।
2. प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा, आवेदक संस्था के नोटिस बोर्ड/संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर प्रकाशित किये जाने वाले दिशा-निर्देश/सूचना/मेरिट लिस्ट/प्रावीण्य सूची आदि का अवलोकन करे एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उक्तानुसार पालन करना सुनिश्चित करे।
3. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये पृथक से काउन्सलिंग शुल्क नॉनरिफेण्डबल राशि रु. 600/- काउंसलिंग प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन हेतु जमा करवाने होंगे।
4. संस्था में जमा किये गए शुल्क (आवेदन / काउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन / पाठ्यक्रमों की प्रवेश शुल्क आदि) जमा करवाए जाने के उपरांत वापिस नहीं की जावेगी एवं स्व-वित्त पोषित संस्था पर किसी भी प्रकार का शुल्क वापिसी सम्बन्धी दावा / क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।
5. प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

6. प्रवेश हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज :-

⇒ कक्षा 10 वीं की मूल अंकसूची (यदि 10वीं कक्षा की मार्कशीट में जन्मतिथि अंकित नहीं होने की दशा में जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है)

⇒ कक्षा 12 वीं (10+2) की मूल अंकसूची

⇒ स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (टी.सी./एस.एल.सी./सी.एल.सी.)

⇒ माइग्रेसन सर्टिफिकेट (बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)

⇒ नवीनतम आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति

⇒ मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/धस्व-घोषित)

⇒ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट- रेजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी

⇒ Hepatitis-B Vaccination सर्टिफिकेट

⇒ दस्तावेजों में नाम / उपनाम में भिन्नता की स्थिति में उचित आवश्यक दस्तावेज / साक्ष्य

' आरक्षित श्रेणी (ST/SC/OBC) के आवेदकों हेतु -

⇒ जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी - जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)

⇒ आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी / आयकर रिटर्न / वेतन पर्ची - 1 अप्रैल 2025 कि स्थिति में जारी

⇒ समग्र आय.डी. की अभिप्रमाणित छायाप्रति

अन्य श्रेणी आरक्षण लाभ हेतु –

- ⇒ दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/सैनिक का प्रमाणपत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) – यदि लागू हो
- ⇒ सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- ⇒ गेप सर्टिफिकेट (यदि 12 वीं कक्षा वर्ष 2025 से पहले उत्तीर्ण की है)
- नोट: उक्त मूल दस्तावेजों को प्रवेश के समय जमा करवाना एवं सॉफ्ट कॉपी में छात्र शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 7 प्रवेश हेतु काउंसलिंग निम्न अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-ऑप्शन के आधार पर आयोजित की जाएगी—
I-एसटी श्रेणी II- एससी श्रेणी III- ओबीसी श्रेणी IV- ई.डब्ल्यू.एस. V- अनारक्षित
- 8 यदि विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण की सीमा तक पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो प्रवेश निम्नानुसार किया जाएगा:
- a- ST श्रेणी के आवेदकों के लिए SC श्रेणी के आवेदक
b- SC श्रेणी के आवेदकों के लिए ST श्रेणी के आवेदक
c- यदि ST और SC दोनों श्रेणियों में पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो OBC श्रेणी के आवेदक
d- यदि तीनों आरक्षित श्रेणियों (ST/SC/OBC) में पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अनारक्षित आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा।
- ⇒ यदि PwD (दिव्यांग), MP (सैन्य कर्मी), FF (स्वतंत्रता सेनानी), IS (इन-सर्विस), EWS श्रेणियों में पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो, रिक्त सीटों को संबंधित मूल श्रेणी के पात्र आवेदकों को उनकी वरीयता क्रमांक के अनुसार प्रवेश प्रदान किया जावेगा
- 9 एसटी/एससी/ओ.बी.सी. वर्ग से आवेदक, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/प्रतीक्षा सूचि के साथ-साथ अनारक्षित सूचि में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते हैं।
- 10 प्रवेश हेतु काउंसलिंग के प्रथम चरण में किसी पाठ्यक्रम में सीट रिक्त रहने की अवस्था में आवश्यकता अनुसार पृथक से द्वितीय काउंसलिंग आयोजित की जा सकेगी, जिसकी सूचना एवं वरीयता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर किया जावेगा।
- 11 किसी भी आवेदक को काउंसलिंग प्रक्रिया / प्रवेश में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

F. फीस संरचना (Fees Structure):-

सत्र 2025-26 हेतु शुल्क का विवरण म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5-14/18/1/55/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 के की कंडिका 2 के परिपालन में रजिस्ट्रार म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् के पत्र क्र. F-26/कॉलेज-2025-2026/797/2026 भोपाल दिनांक 06-05-2026 के अनुसार सत्र 2025-26 हेतु देय शुल्क का विवरण :-

क्र.	शुल्क का विवरण	स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम	दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु	एकवर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
1.	शिक्षण शुल्क	रु. 92,300/-	रु. 59,360/-	रु. 42,860/-
2.	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य) ॥	रु. 5,000/-	रु. 5,000/-	रु. 5,000/-
3.	विकास शुल्क	रु. 4,000/-	रु. 4,000/-	रु. 4,000/-
प्रवेश के समय प्रथम वर्ष हेतु कुल शुल्क राशि रु.		रु. 101,300/-	रु. 68,360/-	रु. 51,860/-
द्वितीय वर्ष एवं आगामी कक्षा हेतु कुल शुल्क राशि रु.		रु. 96,300/-	रु. 63,360/-	---

नोट: ॥. सुरक्षा निधि राशि रु. 5000/- प्रवेश के समय देय होगी, जोकि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छात्र को वापस लौटा दी जावेगी। अपूर्ण पाठ्यक्रम छोड़ने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

– शासकीय कर्मचारी आवेदकों को भी अन्य छात्रों की तरह प्रवेश के समय एवं समय-समय पर लागू समस्त शुल्क देय होंगे – राज्य शासन के निर्देशानुसार उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष राशि रु. 7.4 % की स्वतः बढ़ोत्तरी होगी।

– छात्र के पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार लागू होने वाले समस्त शुल्क देय होंगे।

शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु :-

1. समस्त श्रेणी के आवेदकों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क एक मुश्त नगद/डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसलिंग के दौरान) संस्था के स्टेट बैंक के खाते MAHSI A/c No.39938620715 , IFSC CODE: SBIN0030359 भारतीय स्टेट बैंक, एम.वाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाता में जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।
2. **सीट लीविंग बांड** :- डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को संस्था MAHSI अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रम हेतु रु. 300000/- बी.एक्सआर.टी., बी.एम.एल.टी., पाठ्यक्रम हेतु रु. 200000/- एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रु. 75000/- का बांड रु. 500 के स्टाम्प पर निष्पादित कर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जमा करवाना होगा।
3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व-वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन-सर्विस कैंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।
4. **आरक्षित श्रेणी:-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्र के बैंक खाते में म.प्र. राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।
5. छात्रों को आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले / समय-समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में कॉलेज की फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क रु. 20/- प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।
6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर-कानूनी/असामाजिक गतिविधियों, नियमों के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काशित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान करना होगा।
7. संस्था द्वारा कंप्यूटर, स्टेशनरी, खेलकूद, पत्र-पत्रिकाएं आदि के लिए शुल्क लागू किए जा सकते हैं जोकि छात्र द्वारा देय होंगे।
8. छात्र के किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक/सप्लीमेंटरी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित शुल्क जमा करवाने होंगे। छात्र के अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

G. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रिया: -

1. यदि छात्र ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/गलत अधूरी जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त सम्वन्ध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. प्रवेश दिवस के 15 दिनों के भीतर विद्यार्थी को सम्वन्धित विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने कि स्थिति में संबंधित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. यदि छात्र अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः रद्द माना जाएगा। अनुपस्थिति की इस अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।
4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है, अनाधिकृत/अस्वीकृत गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है, संकाय सदस्य, छात्र, मरीज एवं परिजनों के साथ दुर्व्यवहार रैगिंग आदि में संलिप्त पाए जाने पर संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते है उक्त आशय का आवेदक एवं अभिभावकों द्वारा संयुक्त वचन पत्र प्रवेश के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

5. आवेदक/ छात्र द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :- यदि आवेदक/ छात्र काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो उक्त संबंध में निर्धारित सीट लीविंग बांड कि राशि नगद/डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से संस्था के बैंक खाते MAHSI A/c No.39938620715 , IFSC CODE: SBIN0030359 , भारतीय स्टेट बैंक, एम.वाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाते में जमा करवाया जाकर शुल्क कि रसीद कि मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर को प्राचार्य, MAHSI के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनुरोधन उपरांत ही सम्बन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्तावेज सम्बन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लौटाये जावेंगे।

H. दस्तावेजों का सत्यापन :-

प्रवेश के दौरान छात्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन कि यदि आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित जारीकर्ता विभाग / अधिकारी को प्रेषित कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा , उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि छात्र द्वारा वहन कि जावेगी।

1. छात्रावास सुविधा: - छात्रावास सुविधा केवल कन्या छात्राओं के लिए ही उपलब्ध है, वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल परिसर में नवनिर्मित 312 बिस्तरीय MAHSI कन्या छात्रावास में प्रवेशित छात्राओं के आवास की सुविधा देय पृथक से हॉस्टल शुल्क राशी रु. 20000/- प्रति वर्ष के भुगतान (भोजन/ मेस शुल्क व्यवस्था अतिरिक्त देय) पर उपलब्ध है। छात्रावास की सुविधा गर्ल्स हॉस्टल में सीटों की उपलब्धता के आधार पर संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।

J. विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :-

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त छात्रों से अनुशासन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
 2. छात्रों को विश्वविद्यालय / मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल/महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशाषी संस्था-इंदौर/MAHSI द्वारा जारी समस्त नियम-नियमाकुल, पत्र-परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 3. छात्रों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75% एवं प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कक्षाओं में 85% उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति की गणना पृथक-पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।
 4. छात्र को अध्ययन के दौरान अस्पताल, क्लिनिक या व्यक्तिगत परामर्श में किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और नामांकन रद्द करने के साथ-साथ संस्था से निष्कासन भी किया जाएगा।
 5. अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5% तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।
 6. समय-समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक , विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्बन्ध में अवलोकन करते रहे।
 7. कक्षा/लैब/विभाग एवं संस्था में डिग्री (बीपीटी,बीओटी) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफेद एवं अन्य डिग्री/ डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रेन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा। समस्त छात्रों को संस्था परिक्षेत्र में निर्धारित एप्रेन मय नाम पट्टिका एवं संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र/आयडेंटिटी कार्ड पहनकर ही प्रवेश करना होगा अन्यथा संबन्धित छात्र से प्रति दिवस रु 50/- अर्थदंड वसूल किया जावेगा।
 8. संस्था में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत किसी भी कारण से किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्थानांतरण प्रदान नहीं किया जावेगा। इसी प्रकार अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र को स्थानांतरण द्वारा संस्था में प्रवेश पात्रता नहीं होगी।
 9. बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.) एवं बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत 6 माह की क्लीनिकल इंटरनशिप महात्मा महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशाषी संस्था)- इंदौर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करना अनिवार्य होगा , तदोपरांत ही पाठ्यक्रम पूर्ण होने सम्बन्धी दस्तावेज जारी किये जा सकेंगे एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री जारी की जावेगी।
 10. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत ही सम्बन्धित को विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री/ डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा।
 11. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवार्त्त नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।
- सूचना: - प्रवेश नियम-प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तन आवेदक छात्र पर लागू होंगे। समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में न्याय एवं परिवाद परिक्षेत्र इंदौर होगा।



एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)
शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)
शपथ पत्र

(प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र एवं अभिभावक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

मै..... पिता.....निवासी.....

..... संस्था एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट (MAHSI) शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर में सत्र 2025-26 में पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहा / रही हूँ एवं शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूँ कि : -

1. मैं महाविद्यालय के सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूँगा / करूँगी। मध्यप्रदेश सह चिकित्सा परिषद् भोपाल एवं म प्र राज्य शासन के निर्देशानुसार संस्था की सत्र 2025-26 की विश्वविद्यालय से संबद्धता पूर्ण होने तक मेरा प्रवेश पूर्णतः अस्थायी है, जिसमें होने वाले विलम्ब / विपरीत परिस्थितियों में मेरा अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसका संस्था पर किसी भी प्रकार का दवा क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा एवं संस्था की संबद्धता उपरांत निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में नामांकन शुल्क जमा करवाकर नामांकन करवाऊँगा / करवाऊँगी एवं नामांकन शुल्क जमा करवाने / मूल दस्तावेज जमा करवाने के आभाव में नामांकन नहीं हो पाता है तो संस्था पर उक्त सम्बन्ध में कोई दावाधक्लेम नहीं किया जा सकेगा।
2. मैं आदर्श छात्र आचरण नियमो एवं उपस्थिति सम्बन्धी नियमो का पालन करूँगा / करूँगी। संस्था में मेरी उपस्थिति थ्योरी क्लासेस में 75 प्रतिशत और प्रायोगिक कक्षाओं में 85 प्रतिशत से अधिक रहेगी। निर्धारित उपस्थिति के आभाव में संस्थाध्विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा एवं यदि लागू हो तो, मध्यप्रदेश राज्य शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओ के लाभ से वंचित किया जा सकेगा जिसका संस्था / संबंधित विभाग पर किसी प्रकार का दावा / क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।
3. रैगिंग या रैगिंग संबंधित मामलो में संलिप्त पाए जाने पर संस्था द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर संस्था से निष्काशन एवं पुलिस विभाग में रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकेगी।
4. म.प्र. राज्य शासन, म.प्र. सह चिकित्सा परिषद् भोपाल, विश्वविद्यालय एवं महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी एवं संस्था MAHSI के समस्त नियम, नियमाकुल एवं दिशा निर्देशों का पालन करने का वचन देते है।
5. शासन, संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा लागू समस्त शुल्कों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित समय अवधि में किया जावेगा किसी भी प्रकार के विलम्ब की दशा में लागू दंड हमारे द्वारा देय होंगे।
6. छात्र अध्ययन के दौरान किसी भी असामाजिक, अवांछनीय, अनाधिकृत, गैर शैक्षणिक गतिविधि या गुंडागर्दी में भाग नहीं लेंगे, यदि ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और संस्थान से निष्कासन के साथ-साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
7. छात्र सभी नियमों और विनियमों का पालन करेंगे और संस्था के अनुशासन-शिष्टाचार को बनाए रखेंगे, हमेशा शिक्षकों, रोगियों, साथी छात्रों का सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि, दुर्व्यवहार में शामिल नहीं होंगे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर
छात्र का नाम-----
पाठ्यक्रम का नाम-----
दिनांक-----

हस्ताक्षर
अभिभावक का नाम-----
पता-----
मोबाइल न.-----

हस्ताक्षर
गवाह का नाम-----
पता-----
मोबाइल न.-----



एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गान्धी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर ४७२००१ (म.प्र.)

फिजियोथरेपी एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सत्र : 2025-26 अभिभावकों की आय का संयुक्त घोषणा-पत्र

(अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा के अभिभावकों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

मैंशपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा व्यवसायहै, तथा मेरी वार्षिक आय रु.(शब्दों में रु.) प्रतिवर्ष है। मेरी पत्नी श्रीमती का व्यवसाय है एवं वार्षिक आय रु. (शब्दों में रु.) है। हमारे परिवार कि कुल वार्षिक आय रुशब्दों में रु. है।

अथवा

- मेरी पत्नी गृहणी है एवं उनकी कोई अतिरिक्त आय नहीं है।
 दोनों कि वार्षिक आय का सक्षम अधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
 हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त आय बाबत प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर हमारे पुत्र /पुत्री का प्रवेश निरस्त करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।

— यदि उक्त त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण-पत्र के आधार पर हमारे पुत्र /पुत्री ने शिक्षण शुल्क / स्कालरशिप / रियायत प्राप्त कि होगी तो उक्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क / स्कालरशिप राशि का भुगतान संस्था को हमारे द्वारा किया जायेगा।

पिता के हस्ताक्षर
पूर्ण नाम

माता के हस्ताक्षर
पूर्ण नाम

जो लागु ना हो, उसे काट देंगे।



एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गान्धी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
चिकित्सालय,

(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर ४५२००१ (म.प्र.)

सेवारत अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृती प्रमाण-पत्र

1. श्री/श्रीमती.....पद.....
नियुक्ति की दिनांक विभाग का नामको
पैरामेडिकलपाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
सहमति दी जाती है।

3. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

जारीकर्ता सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं
पद-मुद्रा
(अधिष्ठाता/संचालक/अधीक्षक
प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)
जारीकर्ता अधिकारी का नाम.....
जारीकर्ता अधिकारी का मोबाइल नं
चिकित्सालय/संस्था का नाम.....

नोट – उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारी / विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता/संचालक/अधीक्षक, प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात अनुमति/स्वीकृति प्रदान करेंगे।



एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर ४७२००१ (म.प्र.)

पैरामेडिकल डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025-26

कार्यालयीन उपयोग हेतु	
आवेदन क्रमांक	आवेदन फीस रुपये प्राप्त हुई
दिनांक.....	रसीद क्र.

आवेदक का स्वप्रमाणित
पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकाएँ

आवेदन शुल्क:- राशि रु. 800/- सामान्य वर्ग एवं रु. 500/- आरक्षित वर्ग (ST,SC,OBC)
आवेदक को संस्था में जमा करवा कर रसीद की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य
है अन्यथा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

नोट:- (1) उक्त आवेदन से मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लिया जा सकेगा। भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों
हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। (2) काउन्सलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान समस्त मूल दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की 01
सेट फोटोकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सी.डी.में जमा करवानी होगी। (संबंधित पर ✓ का निशान लगाये)

1-आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में)..... 2-लिंग: महिला पुरुष अन्य

3-जन्मस्थान-----जिला-----राज्य-----राष्ट्रीयता-----

4-जन्म तिथि:----- 5-दिनांक 14-05-2026 को आयु.....वर्ष.....माह.....दिन.....

6- वर्ग: UR ST SC OBC 7-Sub-category: Div FF MP EWS IS

श्रेणी (Category):- अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), स्वतंत्रता सेनानी
Freedom Fighter), दिव्यांग (Div), सैनिक (Military Personnel), ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) इन सर्विस आवेदक (IS)

8- मोबाईल नं ----- 9:ई-मेल आय डी -----

10.आधार नं----- 11.समग्र आई.डी नं-----

12.परिवार की समग्र आई.डी नं-----

13.पिता/पति का नाम----- 14.माता का नाम ----- 15.

पिता का व्यवसाय-----माता का व्यवसाय -----

पति/पत्नी का व्यवसाय ----- एवं परिवार की सम्पूर्ण वार्षिक आय रु. -----

16. म.प्र. का मूल निवासी; है नहीं यदि नहीं तो मूल निवासी राज्य -----

17. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नम्बर (यदि लागू हो तो) -----

18. स्थायी पता (पूर्ण पता):------

-----पिन कोड -----

19. अभिभावक का पूरा नाम एवं पता -----

----- मोबाईल नं-----

17. शैक्षणिक योग्यता:-

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हायर सेकेण्डरी 10+2			जीवविज्ञान Biology			
			रसायनशास्त्र Chemistry			
			भौतिकशास्त्र Physics			
			कुल अंक (PCB)			
			कुल प्राप्तांक (समस्त विषय)			

18. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटनी द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1.	आवेदन शुल्क (रसीद की मूल प्रति)				
2.	कक्षा 10 वीं की अंकसूची				
3.	कक्षा 12 वीं की अंकसूची				
4.	स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टीसी)				
5.	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6.	आधार कार्ड				
7.	जन्म प्रमाण-पत्र				
8.	मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/स्व-घोषित)				
9.	मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट				
10.	Hepatitis-B Vaccination सर्टिफिकेट				
11.	समग्र आय.डी.				
12.	जाति प्रमाण-पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)				
13.	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
14.	यदि लागू हो तो - दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/ सैनिक का प्रमाणपत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र				
15.	गेप सर्टिफिकेट (यदि वर्ष 2025 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				

नोट: सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

1. नियमित सेवानियुक्त आदेश 2. कार्यभार ग्रहण करने का पत्र (ज्वाइनिंग प्रमाण-पत्र) 3. नियमितीकरण संबंधि आदेश

आवेदन संबंधी घोषणा

मैं आवेदक / आवेदिका विधिवत घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित समस्त जानकारी सत्य एवं सही है

- इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत कि गई समस्त जानकारियाँ सही एवं सत्य है।
- मैं वचन देता / देती हूँ कि यदि संस्था में मुझे प्रवेश मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से संस्था में वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करूँगा/करूँगी और भविष्य में यदि इन नियमों एवं दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पालन के लिए भी वचनबद्ध हूँ।
- मैं शपथ पूर्वक यह भी कथन करता / करती हूँ कि संस्था एवं संस्था के बाहर ऐसी किसी भी प्रकार कि असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहूँगा/रहूँगी जिससे संस्था कि साख व प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए।
- प्रवेश के समय मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ गलत या असत्य पाई जाती है तो संस्था को यह पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि मेरा प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दे। मेरे प्रवेश निरस्तीकरण पर मेरे द्वारा प्रवेश के समय जमा किया गया शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क राजसात करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।
- मेरे द्वारा संस्था के प्रवेश नियमों एवं दिशा निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं सत्यापित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा जमा किये गये शिक्षण शुल्क आदि की राशि (वापसी योग्य राशि को छोड़कर) वापसी का दावा किसी भी स्थितियों में प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर-----

आवेदक के हस्ताक्षर-----

पिता/पति का नाम -----

आवेदक का नाम-----



एम.जी.एम.अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर ४५१००१ (म.प्र.)

पैरामेडिकल डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025-26

Received admission application Form No.....from (Name of applicant).....on (Date).....for admission in Allied Health Paramedical Degree/Diploma/Certificate Course for session 2025-26.

Receiver's Signature & Name

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.	सूचना	तिथियाँ
1.	नियम-निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.mahsimgm.in अथवा ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में उपलब्ध होने की अवधि	14-05-2026 से 25-05.2026 तक
2.	संस्था की वेबसाइट www.mahsimgm.in पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संस्था कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	25-05.2026
3.	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट www.mahsimgm.in पर एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर)	28-05.2026
4.	प्रकाशित योग्यता (प्रावीण्य / मेरिट लिस्ट) सूची से संबंधित प्रश्न, यदि कोई हो तो, संस्था कार्यालय अथवा ईमेल आई.डी. www.mahsimgm@gmail.com पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (अवधि सायं 4.00 बजे तक)	29-05.2026
5.	प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया की प्रस्तावित तिथियाँ (स्नातक / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स हेतु)	01-06-2026 से 04-06-2026
6.	प्रवेशित पाठ्यक्रमों में संबंधित विभागों / चिकित्सालयों में नियमित कक्षाएँ प्रारंभ होने की तिथि	08-06-2026